



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 2607/2006

याचिकाकर्ता:

सूर्य प्रकाश, पिता कार्तिकराम साहू, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम पिसिद, तहसील कसडोल, जिला रायपुर (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. रामरतन, पिता फिरतराम पटेल, आयु लगभग 45 वर्ष।
 2. अनंत कुमार, पिता गणेश साहू, आयु लगभग 60 वर्ष।
 3. अमरनाथ, पिता गंगाराम पटेल, आयु लगभग 35 वर्ष।
 4. ईश्वर, पिता शंकर पटेल, आयु लगभग 23 वर्ष।
 5. गुलाल, पिता पुनीराम साहू, आयु लगभग 32 वर्ष।
 6. धनश्याम, पिता रामप्रसाद खांडेकर, आयु लगभग 25 वर्ष।
 7. चमरू, पिता भवधा कैवर्त्य, आयु लगभग 36 वर्ष।
 8. दरस, पिता महादश साहू, आयु लगभग 40 वर्ष।
 9. दुकालूराम, पिता गंगू, आयु लगभग 40 वर्ष।
 10. मनहरण, पिता बलराम, आयु लगभग 27 वर्ष।
 11. राजकुमार, पिता पुनीदास, आयु लगभग 40 वर्ष।
- उत्तरवादी क्रमांक 1 से 11 निवासी ग्राम पिसिद, तहसील कसडोल, जिला रायपुर (छ.ग.) हैं।
12. अनुविभागीय अधिकारी, बिलाईगढ़, जिला रायपुर (छ.ग.)।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका)

(न्यायपीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति)



उपस्थिति:

याचिकाकर्ता हेतु अधिवक्ता श्री राकेश पाण्डेय।

उत्तरवादी क्रमांक 1 हेतु अधिवक्ता श्री एस.सी. वर्मा।

मौखिक आदेश

(दिनांक 26.11.2008 को पारित)

इस याचिका में अनुविभागीय अधिकारी-सह-विहित प्राधिकारी, बिलाईगढ़ द्वारा निर्वाचन याचिका क्रमांक 8/A/89 (21)/2004-05 (रामरतन विरुद्ध अनंत कुमार एवं अन्य) में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 13.02.2006 (अनुलग्नक पी/1) को चुनौती दी गई है, जिसमें यहाँ के याचिकाकर्ता का सरपंच पद हेतु निर्वाचन, छत्तीसगढ़ पंचायत (निर्वाचन याचिकाएं, भ्रष्ट आचरण और सदस्यता के लिए निरर्हता) नियम, 1995 (संक्षेप में, "नियम 1995") के नियम 23 (1) (ख) के उपबंधों के अनुसार शून्य घोषित किया गया था।

2) प्रकरण के न्यायनिर्णयन हेतु संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि यहाँ के उत्तरवादी क्रमांक 1 ने दिनांक 15.01.2005 को आयोजित याचिकाकर्ता के निर्वाचन को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (संक्षेप में, "अधिनियम 1993") की धारा 122 के साथ पठित नियम 1995 के उपबंधों के अधीन शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के कारण निरर्हता के आधार पर ग्राम पंचायत पिसिद का सरपंच निर्वाचित किया गया था। निर्वाचन याचिका में, प्रकरण के तथ्यों का



परिशीलन करने के पश्चात्, विहित प्राधिकारी ने यह अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता द्वारा गलत शपथ पत्र दाखिल करने के संबंध में लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं पाए गए, क्योंकि आरोप स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। व्यय विवरण प्रस्तुत न करने के संबंध में अन्य आरोप भी सिद्ध नहीं पाए गए। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में आरोप सिद्ध पाया गया और उस आधार पर सरपंच पद हेतु याचिकाकर्ता का निर्वाचन नियम 1995 के नियम 23 (1)(ख) के अधीन शून्य घोषित कर दिया गया।

3) इस न्यायालय ने दिनांक 24.05.2006 को सूचना पत्र जारी करते समय यह निर्धारित किया कि यदि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान कोई पुनः निर्वाचन होता है, तो वह इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। यह निर्विवाद है कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान सरपंच पद रिक्त घोषित किए जाने के अनुसरण में निर्वाचन संपन्न हुआ और उसका परिणाम घोषित कर दिया गया। सूचना पत्र के पश्चात्, याचिकाकर्ता समय सीमा के भीतर प्रक्रिया शुल्क जमा नहीं कर सका और इस कारण आज दिनांक तक दूसरे पक्ष को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया जा सका।

4) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि ग्राम में सरपंच पद हेतु निर्वाचन पहले ही संपन्न हो चुका है, अतः यह याचिका केवल अव्यवहारिक रह गई है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अनुवर्ती निर्वाचन को चुनौती नहीं दी गई है।



5) इसके विपरीत, उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि एक बार सरपंच पद हेतु निर्वाचन संपन्न होने और उसके परिणाम घोषित होने के पश्चात्, यह याचिका अव्यवहारिक हो गई है। यदि याचिकाकर्ता इस याचिका में सफल भी हो जाता है, तो भी अनुवर्ती निर्वाचन को निर्वाचन याचिका का अवलंब लिए बिना अपास्त नहीं किया जा सकता।

6) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है, अभिवचनों और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया है। यह स्पष्ट है कि यदि याचिकाकर्ता इस याचिका में सफल भी हो जाता है, तो भी वह सरपंच के रूप में पदभार ग्रहण नहीं कर सकता। इस याचिका के लंबित रहने के दौरान निर्वाचन पहले ही संपन्न हो चुका है और सरपंच निर्वाचित हो चुका है, अतः इस याचिका में अनुवर्ती निर्वाचन को अपास्त नहीं किया जा सकता। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि निर्वाचन याचिका का उपबंध है, तो कोई रिट याचिका विचारणीय नहीं है।

7) एन.पी. पोन्नस्वामी विरुद्ध रिटर्निंग ऑफिसर, नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र, नामक्कल, सेलम जिला एवं अन्य [ए.आई.आर. (39) 1952 एस.सी. 64] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय की छह न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नानुसार निर्धारित किया है:

"12. अब यह सुविदित है कि जहाँ किसी संविधि द्वारा कोई अधिकार या दायित्व सृजित किया जाता है जो उसे प्रवर्तित करने



के लिए एक विशेष उपचार प्रदान करता है, तो उस संविधिक उपचार का ही अवलंब लिया जाना चाहिए। यह नियम विल्स जे द्वारा वूल्वर हैम्पटन न्यू वाटर वर्क्स कं. विरुद्ध हॉक्सफोर्ड (1859) 6 सी.बी. (एन.एस.) 336, पृष्ठ 356 पर निम्नलिखित अंश में अत्यंत स्पष्टता के साथ प्रतिपादित किया गया था:

"तीन वर्ग के मामले हैं जिनमें संविधि पर आधारित दायित्व स्थापित किया जा सकता है। एक वह है, जहाँ सामान्य विधि के तहत दायित्व विद्यमान था, और उस दायित्व की पुष्टि एक संविधि द्वारा की जाती है जो सामान्य विधि के तहत विद्यमान उपचार से भिन्न एक विशेष और विशिष्ट प्रकार का उपचार प्रदान करती है; वहाँ, जब तक कि संविधि में ऐसे शब्द न हों जो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा सामान्य विधि के उपचार को अपवर्जित करते हों, वादकारी पक्ष के पास या तो उसका या संविधिक उपचार का अनुसरण करने का विकल्प होता है। मामलों का दूसरा वर्ग वह है, जहाँ संविधि केवल वाद चलाने का अधिकार देती है, परंतु उपचार का कोई विशेष रूप प्रदान नहीं करती: वहाँ, पक्ष केवल सामान्य विधि की कार्यवाही द्वारा आगे बढ़ सकता है। परंतु एक तीसरा वर्ग है, अर्थात् जहाँ सामान्य विधि के तहत विद्यमान नहीं रहने वाला दायित्व एक संविधि द्वारा सृजित किया जाता है जो साथ ही उसे प्रवर्तित करने के लिए एक विशेष और विशिष्ट उपचार प्रदान करती है... संविधि द्वारा प्रदान किए गए उपचार का पालन किया जाना चाहिए और पक्ष के लिए दूसरे वर्ग के मामलों में लागू मार्ग का अनुसरण करना संभव नहीं है। संविधि द्वारा दिए गए प्रारूप को अपनाना और उसका पालन करना होगा।"

इस अंश में प्रतिपादित नियम को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा नेविल विरुद्ध लंदन एक्सप्रेस न्यूजपेपर लिमिटेड (1919) ए.सी. 368 में अनुमोदित किया गया था और प्रिवी काउंसिल द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो विरुद्ध गॉर्डन ग्रांट एंड कं. 1935 ए.सी. 532 और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विरुद्ध मास्क एंड कं. 44





कलकत्ता डब्ल्यू.एन. 709 में इसकी पुनः पुष्टि की गई है; और इसे अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी समान रूप से लागू माना गया है (देखें हरदूतराय विरुद्ध ऑफि. असाइनी ऑफ कलकत्ता, 52 कलकत्ता डब्ल्यू.एन. 343, पृष्ठ 349)। ऐसा होने पर, मेरा विचार है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबंधों से यह एक उचित निष्कर्ष होगा कि अधिनियम केवल एक उपचार का उपबंध करता है, वह उपचार निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाने वाली निर्वाचन याचिका द्वारा है, और किसी मध्यवर्ती चरण में कोई उपचार प्रदान नहीं किया गया है।"

8) मोहिंदर सिंह गिल एवं अन्य विरुद्ध मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नई दिल्ली एवं

अन्य [(1978) 1 एस.सी.सी. 405] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया था कि जब संविधि के अधीन निर्वाचन याचिका दायर करने का

उचित मंच प्रदान किया गया है, तो उच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद

226 के तहत रिट याचिका स्वीकार करने की अधिकारिता नहीं है क्योंकि निर्वाचन

याचिका के लिए पूर्ण विचारण की आवश्यकता होती है।

9) इंद्रजीत बरुआ एवं अन्य विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य

[ए.आई.आर. 1986 एस.सी. 103] और मंदा जगन्नाथ विरुद्ध के.एस. रत्नम एवं अन्य

[(2004) 7 एस.सी.सी. 492] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एन.पी.

पोन्नुस्वामी (पूर्वोक्त) के प्रकरण में लिए गए दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि की।

10) तत्पश्चात्, अवतार सिंह हित विरुद्ध दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति

एवं अन्य [(2006) 8 एस.सी.सी. 487] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने



एन.पी. पोन्नूस्वामी (पूर्वोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत का अवलंब लेते हुए निम्नानुसार निर्धारित किया:

"19. यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहाँ निर्वाचन किसी संविधि के उपबंधों के अनुसार संचालित किए जाते हैं और संविधि एक न्यायाधिकरण के समक्ष निर्वाचन याचिका दायर करके निर्वाचन विवादों के निराकरण का उपचार भी प्रदान करती है, तो केवल उसी उपचार का अवलंब लिया जाना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाहियों का अवलंब नहीं लिया जा सकता है। यह दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की एक श्रृंखला में अपनाया गया है...."

11) उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धांत को **गुरदीप सिंह ढिल्लों विरुद्ध सतपाल एवं अन्य**

[(2006) 10 एस.सी.सी. 616] के प्रकरण में दोहराया गया था।

12) चूंकि निर्वाचन पहले ही संपन्न हो चुका है, अतः याचिकाकर्ता की शिकायत पर इस याचिका में विचार नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ता को सरपंच पद पर बहाल करने का कोई सारवान अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता।

13) पूर्वोक्त के दृष्टिगत, रिट याचिका निराकृत की जाती है। तथापि, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर, याचिकाकर्ता को इस आशय हेतु कि याचिकाकर्ता शासकीय भूमि का अतिक्रमणकारी था, सरपंच पद से याचिकाकर्ता की इस निरर्हता को हटाने के लिए विधि के उपबंधों के अधीन उपलब्ध उचित संविधिक मंच का अवलंब लेने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी जाती है।



14) पूर्व में प्रदत्त अंतरिम अनुतोष समाप्त किया जाता है। परिणामतः, एम(डब्ल्यू)पी क्रमांक 1953/06, अंतरिम अनुतोष हेतु आवेदन भी निराकृत किया जाता है।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

